

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(पैराग्राफ 1.1 में संदर्भित)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा

क्रम सं.	विवरण	आंकड़े	
1.	क्षेत्र	1,483 वर्ग कि.मी.	
2.	जनसंख्या		
	जनसंख्या (2011 की जनगणना)	1.70 करोड़	
	जनसंख्या 2023	2.14 करोड़	
3.	जनसंख्या का घनत्व (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 01.03.2022 तक अनुमानित जनसंख्या) अखिल भारतीय घनत्व = 422.46 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	14,402.56 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4.	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	9.91 प्रतिशत	
5.	साक्षरता दर (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	86.20 प्रतिशत	
6.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (2020) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)	12	
7.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2016-20) (अखिल भारतीय औसत = 70 वर्ष)	75.8 वर्ष	
8.	मौजूदा कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-23	₹ 10,43,759 करोड़	
9.	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2013-14 से 2022-23)	रा.रा.क्ष.दिल्ली	7.83 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	9.12 प्रतिशत
10.	जीएसडीपी/जीडीपी सीएजीआर (2013-14 से 2022-23)	रा.रा.क्ष.दिल्ली	9.96 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	10.34 प्रतिशत
11.	जनसंख्या वृद्धि (2013 से 2023)	11.68 प्रतिशत (अखिल भारतीय)	

स्रोत:

- क्षेत्र: वन सर्वेक्षण रिपोर्ट (2021)
- जनसंख्या: राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत और राज्यों के लिए 2011-2036 जनसंख्या अनुमान
- गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)
- साक्षरता दर: जनगणना 2011
- आईएमआर: एसआरएस बुलेटिन (2020)
- जीवन प्रत्याशा: एसआरएस आधारित जीवन सारणी (2016-20)
- जीएसडीपी: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

परिशिष्ट 1.2
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े
(पैरा 1.3.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भाग क. प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	43,113	47,136	41,864	49,313	62,703
(i) राजस्व कर	36,625	36,566	29,425	40,019	47,363
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	19,187	19,465	15,676	22,263	27,324
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5,886	5,475	4,411	5,099	5,582
राज्य उत्पाद शुल्क	5,028	5,068	4,108	5,488	5,548
वाहनों पर कर	2,055	1,948	1,676	1,956	2,884
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,459	4,606	3,549	5,212	6,023
भू राजस्व	0	3	4	0	0
अन्य कर	10	1	1	1	2
(ii) गैर कर राजस्व	644	1,097	980	827	581
(iii) केन्द्रीय करों तथा ड्यूटी में राज्य का अंश	-	-	-	-	-
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	5,844	9,473	11,459	8,467	14,759
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	-	-	-	-	-
3. ऋण व अग्रिमों की वसूली	1,644	823	631	623	1,258
4. कुल राजस्व (1+2+3)	44,757	47,959	42,495	49,936	63,961
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय को छोड़कर)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,880	4,765	15,365	11,193	3,251
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	47,637	52,724	57,860	61,129	67,212
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	95	143	79	74	52
8. लोक लेखा प्राप्तियां	-	-	-	-	-
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	47,732	52,867	57,939	61,203	67,264
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	36,852	39,637	40,414	46,043	48,246
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान सहित)	7,605	7,083	6,295	6,953	7,322
सामाजिक सेवाएं	21,663	22,145	22,693	26,294	27,177
आर्थिक सेवाएं	5,219	6,530	8,514	9,328	9,423
सहायता अनुदान तथा अंशदान	2,365	3,879	2,912	3,468	4,323
11. पूंजीगत व्यय	3,266	5,472	4,699	8,311	8,065
सामान्य सेवाएं	180	389	246	374	625
सामाजिक सेवाएं	1,755	3,572	2,669	5,062	4,566
आर्थिक सेवाएं	1,331	1,511	1,784	2,875	2,874
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	2,402	3,266	4,090	2,603	3,084
13. कुल व्यय (10+11+12)	42,520	48,375	49,203	56,957	59,395
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	3,636	2,811	3,265	4,215	4,715
आंतरिक ऋण (अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय के अंतर्गत सकल लेन देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	3,636	2,811	3,265	4,215	3,251
15. आकस्मिक निधि में विनियोजन	90	0	0	0	0
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	46,246	51,186	52,468	61,172	64,110

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
17. आकस्मिक निधि संवितरण	5	143	79	74	52
18. लोक लेखा संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	46,251	51,329	52,547	61,246	64,162
भाग घ. घाटा					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	6,261	7,499	1,450	3,270	14,457
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय अधिशेष(+)(4-13)	2,237	-416	-6,708	-7,021	4,566
22. प्राथमिक घाटा(-)/प्राथमिक अधिशेष(+)(21+23)	5,104	2,336	-3,834	-3,747	7,832
भाग घ. अन्य आंकड़ें					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,867	2,752	2,874	3,274	3,266
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	-	-	-	-	-
25. अग्रिम अर्थोपाय/ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
अग्रिम अर्थोपाय का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का लाभ उठाया (दिवस)	-	-	-	-	-
26. अग्रिम अर्थोपाय /ओवरड्राफ्ट अर्थोपाय पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)	7,38,389	7,92,911	7,63,435	9,04,642	10,43,759
28. बकाया राजकोषीय देयता	32,812	34,767	46,867*	53,844*	52,380
29. बकाया गारंटी (समाप्त वर्ष) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम राशि की गारंटी (समाप्त वर्ष)	-	-	-	-	-
भाग च. राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन संग्रहण					
स्व कर राजस्व/स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	4.96	4.61	3.85	4.42	4.54
स्व गैर-कर राजस्व/स.रा.घ. (प्रतिशत में)	0.09	0.14	0.13	0.09	0.06
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	5.76	6.10	6.44	6.30	5.69
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	98.62	102.63	117.53	115.50	94.72
राजस्व व्यय/कुल व्यय	86.67	81.94	82.14	80.84	81.23
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	55.08	53.16	51.55	55.05	53.44
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	15.40	16.62	20.93	21.42	20.70
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	7.68	11.31	9.55	14.59	13.58
सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	7.26	10.51	9.05	13.94	12.53
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.85	0.95	0.19	0.36	1.39
राजकोषीय घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.30	-0.05	-0.88	-0.78	0.44
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/स.रा.घ.उ.	0.69	0.29	-0.50	-0.41	0.75
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	4.44	4.38	5.37**	4.62**	5.02
राजकोषीय देयताएं/रा.प्रा.	76.11	73.76	111.95	109.19	83.54
प्राथमिक घाटे की तुलना में क्वांटम स्प्रेड	5,458.31	-883.35	76.04	-58.02	162.02
ऋण मुक्ति (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	-	-	-	-	-
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल	0.07	0.08	0.05	0.43	0.49

नोट-आंकड़ों को निकटतम पूर्णांक में लिया गया है।

*वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देयताओं/देयता क्रमशः ₹ 41,002 करोड़ एवं ₹ 41,786 करोड़ होगी क्योंकि राज्य को दिए गए ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के रूप में ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो कि वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

**कुल बकाया देयताओं से ऋण प्राप्तियों के अंतर्गत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 5,865 करोड़ (2020-21) एवं ₹ 6,193 करोड़ (2021-22) के जीएसटी मुआवजे के बहिष्करण के बाद आया।

परिशिष्ट 3.1

(पैराग्राफ 3.3.1 में संदर्भित)

उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक)
अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत
राजस्व (प्रभारित)						
1	अनुदान सं. 5 - गृह	882.19	46.51	928.70	851.04	77.66
2	अनुदान सं. 6 - शिक्षा	13,856.58	220.92	14,077.50	12,957.37	1,120.13
3	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,062.23	95.17	7,157.40	6,376.85	780.55
4	अनुदान सं. 9 - उद्योग	588.80	36.53	625.33	474.26	151.07
5	अनुदान सं. 11 - यूडी एवं पीडब्ल्यूडी	11,715.70	377.65	12,093.35	10,207.46	1,885.89
	कुल	34,105.50	776.78	34,882.28	30,866.98	4,015.30
राजस्व (प्रभारित)						
6	अनुदान सं. 7 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	8.49	4.05	12.54	3.95	8.59
	कुल	8.49	4.05	12.54	3.95	8.59
पूंजीगत (दत्तमत्त)						
7	अनुदान सं. 3 - न्याय का प्रशासन	32.00	7.00	39.00	18.76	20.24
8	अनुदान सं. 8 - समाज कल्याण	2,493.32	1,211.47	3,704.79	1,631.09	2,073.70
	कुल	2,525.32	1,218.47	3,743.79	1,649.85	2,093.94
	कुल योग	36,639.31	1,999.30	38,638.61	32,520.78	6,117.83

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.2
(पैराग्राफ 3.3.2 में संदर्भित)

निधियों का अधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्ष.दि.स. के शीर्ष वार विनियोग लेखे के अनुसार
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
राजस्व प्रभारित									
राजस्व दत्तमत्त									
1.	अनुदान सं. 6 शिक्षा	2202.01.113.97-समग्र शिक्षा (सीएसएस)	275.00	0.01	1.99	277.00	191.50	85.50	भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर और उसके बाद राज्य शेयर जारी करने में देरी
2.		2202.01.113.96 - समग्र शिक्षा (टापअप) - प्रारंभिक शिक्षा	0	0.03	145.92	145.95	0	145.95	वर्ष 2022-23 में टापअप के लिए नया बजट हैड खोलना एवं कैबिनेट नोट का अनुमोदन ना होना
3.		2202.01.113.95 - समग्र शिक्षा - टीचर एडुकेशन (टापअप) राज्य शेयर	0	0.01	22.09	22.10	0	22.10	
4.	अनुदान सं. 07 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.800.41 - दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन (राज्य शेयर)	60.00	0.01	19.99	80.00	57.52	22.48	भारत सरकार से कम केंद्रीय शेयर/निधि प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्य का शेयर डीएसएचएम को हस्तांतरित नहीं हो सका।
5.	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	2235.02.789.98 - विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता (एससीएसपी)	39.00	0.01	5.99	45.00	0.21	44.79	एससीएसपी मद से भुगतान किया गया, चूंकि एनएसपी पोर्टल की शुरुआत के कारण जिसमें एससी/एसटी लाभार्थियों को अलग से अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं है।
6.	अनुदान सं. 10 विकास	2053.00.093.82- विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए सेवाएं	35.11	0.01	32.99	68.11	17.69	50.42	यह अनुमान लगाया गया था कि विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के संबंध में पिछले वर्षों की देनदारियों को चुकाने के लिए निधि की आवश्यकता होगी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से बीई/आरई - 2022-23 में रखी गई निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्ष.दि.स. के शीर्ष वार विनियोग लेखे के अनुसार
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
7.	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.01.191.98- अनाधिकृत कालोनियों में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड को सहायता अनुदान	275.00	0.02	55.65	330.67	273.11	57.56	वित्त विभाग ने इस टिप्पणी के साथ प्रस्ताव लौटा दिया कि प्रशासन विभाग ने अनुमत शेष राशि को नहीं दर्शाया गया और जारी की गई राशि में समायोजित किया है।
8		2217.05.191.96 - स्मार्ट सिटी के लिए एनडीएमसी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	50.00	0.01	47.99	98.00	49.00	49.00	बचत मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 में ₹ 980000 के अपेक्षित शेष आवंटन के प्रति भारत सरकार से प्राप्त केवल ₹ 490000 के कारण हुई।
9		2217.05.191.95 - एएमआरयूटी के लिए एमसीडी/एनडीएमसी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	40.00	0.01	114.99	155.00	0.00	155.00	•जबकि 2022-23 में एएमआरयूटी 1.0 के अंतिम शेष आवंटन के लिए प्रावधान किए गए थे, अंतिम शेष ₹ 15,55,300 (हजारों) भारत सरकार द्वारा जून 2023 में ही जारी किए गए थे। शुरुआत में मिशन को 31.03.2023 तक समाप्त करने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन बाद में समय सीमा 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई।
कुल			774.11	0.12	447.6	1,221.83	589.03	632.8	
पूँजीगत दत्तमत्त									
10	अनुदान सं. 5 गृह	4070.00.800.88 अन्य प्रशासनिक सेवा पर पूँजी परिव्यय- अन्य व्यय- सेंट्रल जेल	10.00	0.01	16.99	27.00	6.85	20.15	कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष वार)	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत	रा.रा.क्ष.दि.स. के शीर्ष वार विनियोग लेखे के अनुसार
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोग	कुल			
11	अनुदान सं. 11	4210.01.110.65 मौजूदा अस्पतालों का पुर्ननिर्माण	500.00	0.01	27.99	528.00	466.95	61.05	कार्यों के निष्पादन में देरी, एनजीटी द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंध, कांटेक्टर्स/एजेंसियों द्वारा समय पर बिल नहीं प्रस्तुत करना। विभिन्न रिक्त पदों को भरना, आरई के देर से जारी होने, फंड का उपयोग न होने और अपेक्षित मध्यस्थता प्रचार मिलने के कारण
कुल			510.00	0.02	44.98	555.00	473.8	81.2	
कुल योग			1284.11	0.14	492.58	1776.83	1062.83	714.00	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.3
(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)
वर्ष 2022-23 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत) वाले अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं सं.	मूल अनुदान विनियोग	अनुपूरक अनुदान	कुल अनुदान	व्यय	कुल अनुदान में से बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के पश्चात बचत
राजस्व (दत्तमत्त)								
1	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13,856.58	220.92	14077.50	12,957.37	1,120.13	72.93	1,047.20
2	अनुदान सं. 7 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7,062.23	95.17	7157.40	6,376.85	780.55	105.50	675.05
3	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	9,967.72	0.55	9968.27	8,531.81	1,436.46	749.71	686.75
4	अनुदान सं. 10 विकास	3,339.20	864.76	4203.97	3,431.26	772.71	0.04	772.67
5	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	11,715.71	377.65	12093.35	10,207.46	1,885.89	913.21	972.68
	कुल	45,941.44	1,559.05	47500.49	41,504.75	5,995.74	1,841.39	4,154.35
पूंजीगत (दत्तमत्त)								
6	अनुदान सं. 08 समाज कल्याण	2,493.32	1,211.47	3704.79	1,631.09	2,073.70	102.96	1,970.74
7	अनुदान सं. 10 विकास विभाग	1,177.95	0.04	1177.99	290.97	887.02	797.41	89.61
8	अनुदान सं. 11 शहरी विकास तथा लोक निर्माण विभाग	12,493.82	0.29	12494.11	9,038.52	3,455.59	2,917.58	538.01
	कुल	16,165.09	1,211.80	17376.89	10,960.58	6,416.31	3,817.95	2,598.36
	कुल योग	62,106.53	2,770.85	64,877.38	52,465.33	12,412.05	5,659.34	6,752.71

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.4
(पैराग्राफ 3.3.3 में संदर्भित)
मार्च 2023 के अंत में व्यपगत बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
राजस्व (दत्तमत)								
1	अनुदान सं. 02 सामान्य प्रशासन	849.06	0.08	849.14	431.95	417.19	352.47	64.72
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के अलावा रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण, कम बिलों की प्राप्ति, कम विज्ञापन और प्रचार वेतन पर कम खर्च, अधिकारियों की स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति और चिकित्सा दावों की कम संख्या (प्रचार निदेशालय आदि के कारण बचत हुई ₹ 167.96 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन न होने, कम विज्ञापन और प्रचार, परीक्षाओं की कम संख्या, एकीकृत काल सेंटर आदि की शुरुआत न होने के कारण जिम्मेदार ठहराया गया था।								
2	अनुदान सं. 3 न्याय का प्रशासन	1,260.10	331.21	1,591.31	1,367.38	223.93	43.55	180.38
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण, कम बिलों की प्राप्ति, प्रशासनिक कारणों से आशुलिपिकों के बकाया प्रतिपूर्ति को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, कार्मशियल अदालतों के लिए 64 डैडिकेटिड ला रिसर्चस के भुगतान के लिए मंजूरी देर से प्राप्त होने के कारण। अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने का प्रस्ताव अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और विक्रेताओं (सेशन कोर्ट) आदि से बिल देर से प्राप्त होने के कारण बचत हुई (₹ 137.59 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
3	अनुदान सं. 4 वित्त	389.56	0.21	389.77	259.23	130.54	28.61	101.93
बचत और अभ्यर्पण के कारण: मार्च 2023 तक एडेसिव इक्साइज लेबल का कार्यान्वयन न होने तथा सीक्रेट सर्विस निधि आदि का उपयोग न होने के कारण बचत हुई (₹ 32.18 करोड़)। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण और पुनर्वसन पदों को न भरने तथा कम खरीद के कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
4	अनुदान सं. 5 गृह	882.19	46.51	928.70	851.04	77.66	25.10	52.56
बचत और अभ्यर्पण के कारण: रिक्त पदों, कम चिकित्सा दावों की प्राप्ति और दवाओं की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया को देर से अंतिम रूप देने आदि के कारण बचत हुई (₹ 74.62 करोड़)। बचत का अभ्यर्पण अन्य बातों के साथ-साथ पदाधिकारियों के रिक्त स्थान और निविदाओं को अंतिम रूप न देने आदि के कारण किया गया।								
5	अनुदान सं. 6 शिक्षा	13,856.58	220.92	14,077.50	12,957.37	1,120.13	72.93	1,047.20
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ तीन एमसीडी के एकीकरण (₹ 1,460 करोड़) कम सहायता अनुदान तथा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शेयर एवं बाद में राज्य शेयर (₹ 139.74 करोड़) जारी करने में देरी, कम खरीद और ईडीपी स्टाफ (₹ 105.41 करोड़) की मजदूरी में कम व्यय आदि के कारण बचत हुई। बचत का अभ्यर्पण अन्य बातों के साथ-साथ रिक्त पदों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण तथा कम खरीद, कम अनुदान जारी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
6	अनुदान सं. 07 चिकित्सा एवं जन सेवाएं	7,062.23	95.17	7,157.40	6,376.85	780.55	105.50	675.05
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ सहायता अनुदान कम जारी होने के कारण बचत हुई तथा ₹ 78.52 करोड़ जारी नहीं किया गया क्योंकि इसे वित्त विभाग आदि द्वारा डीएसएचएम (एएएमसी) के साथ पिछले वर्ष की अपव्ययित शेष राशि (₹ 150.73 करोड़) के प्रति समायोजित किया गया था। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ 3 एमसीडी के अंतर एकीकरण और सहायता में कम अनुदान जारी करने के कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
7	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	9,967.72	0.55	9,968.27	8,531.81	1,436.46	749.71	686.75

¹ विनियोग लेखे और अभ्यर्पण के अनुसार

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली शॉपिंग फेस्टीवल (₹ 250 करोड़) की योजना को लागू न करने, खुदरा बाजार के नवीकरण और संवर्धन की योजना को शहरी विकास विभाग (₹ 100 करोड़) को हस्तांतरित करने, कम लाभार्थी, मृत्यु और पीएफएमएस रिटर्न, अथार्थ बैंक द्वारा असंवितरित पेंशन रिटर्न और योजना के भीतर डुप्लीकेट मामलों को रोकना (₹ 215.30 करोड़), एससीएसटी लाभार्थियों को अलग से अपलोड करने के प्रावधान के साथ एनएसपी पोर्टल की शुरुआत जिसके परिणामस्वरूप भुगतान एससीएसपी मद (₹ 179.99 करोड़) आदि से किया गया। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ योजना के गैर-कार्यान्वयन आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
8	अनुदान सं. 9 उद्योग	588.81	36.53	625.34	474.26	151.08	53.98	97.10
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली बाजार प्लेटफार्म का शुभारंभ, दिल्ली गांधी नगर गार्मेंट हब, गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र का पुर्नविकास, किसान मित्र योजना, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए अभियान, मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना आदि (₹ 135 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण में अन्य बातों के अलावा, दिल्ली की मेडिकल उत्पादन आकसीजन नीति की योजना की गैर-अधिसूचना आदि को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
9	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	11,715.71	377.65	12,093.35	10,207.46	1,885.89	913.21	972.68
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के अलावा रा वाटर के लिए डीजेबी को कम अनुदान जारी करने (₹ 262.50 करोड़), यमुना रिजुवेनेशन (₹ 407.76 करोड़) तथा अनाधिकृत कालोनियों में सीवेज सुविधा (₹ 918.41 करोड़) उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए औसत आधार पर डीजेबी को अनुदान जारी करना (₹ 133.59 करोड़) तीन एमसीडी का एकीकरण (स्थानीय निकायों को बीटीए) (₹ 508.73 करोड़ आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ अनुदान का कम रीलिज करना आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
कुल राजस्व दत्तमत		46,571.96	1,108.83	47,680.78	41,457.35	6,223.43	2,345.06	3,878.37
पूँजीगत (दत्तमत)								
10	अनुदान सं. 5 गृह	357.93	0.01	357.94	232.59	125.35	97.44	27.91
बचत और अभ्यर्पण के कारण: कम मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद, निविदाओं को अंतिम रूप न देने, अग्निशमन वाहनों की खरीद के लिए कुछ प्रस्तावों में भारी विचलन के कारण, जिन्हें वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और (₹ 108.06 करोड़) कुछ विक्रेताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण बचत हुई थी। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी और उपकरण को अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी और उपकरण आदि की कम खरीद के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
11	अनुदान सं. 6 शिक्षा	517.97	0.03	518.00	179.05	338.95	171.72	167.23
बचत और अभ्यर्पण के कारण: स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा काम की धीमी गति, काम की प्रगति के आधार पर पीडब्ल्यूडी को फंड जारी करना (₹ 100.56 करोड़) आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को योजना के क्रियान्वयन न होने, कार्य की धीमी गति आदि कारणों से जिम्मेदार ठहराया गया था।								
12	अनुदान सं. 7 चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	213.87	0.02	213.89	151.82	62.07	38.46	23.61
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ कम मशीनरी और उपकरणों की खरीद एवं प्रशासनिक कारणों के कारण 2 सीटी स्कैन का भुगतान न होने आदि (₹ 40.44 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण में अन्य बातों के साथ-साथ मशीनरी तथा उपकरण की कम खरीद को जिम्मेदार ठहराया गया था।								
13	अनुदान सं. 8 समाज कल्याण	2,493.32	1,211.47	3,704.79	1,631.09	2,073.70	102.96	1,970.74
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ ऋण और अग्रिम जारी ना करने और एमआरटीएस (₹ 413 करोड़) के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधीनस्थ ऋण से संबंधित प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने (i) एमआरटी प्राधिकरण के लिए इक्विटी पूंजी (ii) केंद्रीय करों की प्रतिपूर्ति के लिए एमआरटीएस को ऋण और (iii) डीटीसी और क्लसटर बसों में सीसीटीवी कैमरों को लगाना आदि (₹ 1607.50 करोड़) के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के साथ-साथ ऋण एवं अग्रिम जारी ना करने आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								
14	अनुदान सं. 10 विकास विभाग	1,177.95	0.04	1,177.99	290.97	887.02	797.41	89.61
बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के साथ-साथ 3 एमसीडी (₹ 1,163.91 करोड़) के एकीकरण आदि के कारण बचत हुई। बचत के अभ्यर्पण को अन्य बातों के अलावा कम मुख्य कार्य एवं कार्य की धीमी गति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।								

क्रम सं.	अनुदान सं. एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान विनियोग	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	बचत	वर्ष के दौरान अभ्यर्पण	व्यपगत
15	अनुदान सं. 11 शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग	12,493.82	0.29	12,494.11	9,038.52	3,455.59	2,917.58	538.01
<p>बचत और अभ्यर्पण के कारण: अन्य बातों के अलावा मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास (सीएमएलएडी) योजना के कार्यान्वयन न होने और 31 मार्च 2023 तक सीएमएलएडी के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने (₹ 300 करोड़), डिजिटल कक्षाओं का निर्माण: कार्य निष्पादन में देरी (i) सीएक्यूएम द्वारा जीआरएपी का निष्पादन (ii) एनजीटी द्वारा समय-समय पर लगाए गए प्रतिबंध; कांटेक्टर/एजेंसियों द्वारा समय पर बिल न प्रस्तुत करना, विभिन्न रिक्त पदों को न भरना, फण्ड का उपयोग न करना तथा अपेक्षित मध्यस्थता पंचार की गैर-प्राप्ति (₹ 150 करोड़), महारौली बदरपुर कॉरिडोर भुगतान की मंजूरी ना मिला (₹ 120 करोड़), अनाधिकृत कालोनियों का विकास: कार्य की धीमी गति, अनाधिकृत कालोनियों में एचटी/एलटी लाइनों के लिए बिजली विभाग द्वारा फण्ड का उपयोग न करना तथा कार्यकारी संस्थाओं अर्थात डीएसआईआईडीसी एवं आई एण्ड एफसी द्वारा फण्ड का उपयोग न करना (₹ 124.17 करोड़); मुख्यमंत्री सड़क परियोजना आदि से संबंधित कार्य की धीमी गति (₹ 144.60 करोड़) के कारण बचत हुई।</p> <p>बचत के अभ्यर्पण में अन्य बातों के साथ-साथ लोन को जारी न करना, परियोजनाओं का स्थगन, व्यय की धीमी गति आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।</p>								
कुल पूंजीगत दत्तमत		17,254.86	1,211.86	18,466.72	11,524.04	6,942.68	4,125.57	2,817.11
कुल योग		63,826.82	2,320.69	66,147.50	52,981.39	13,166.11	6,470.63	6,695.48

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.5
(पैराग्राफ 3.4.1 में संदर्भित)
वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान सं. एवं नाम	लेखा शीर्ष	एकमुश्त प्रावधान	एकमुश्त प्रावधान से व्यय	बताया गया उद्देश्य
1.	7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (राजस्व-प्रभारित)	2210.06.800.70.00.42	20.0	1.39	प्रतीक्षित
2.	10- विकास (पूँजीगत-प्रभारित)	5425.00.208.84.00.42	0.81	0.37	प्रतीक्षित
3.	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत प्रभारित)	4055.00.212.90.00.42	29.50	26.48	प्रतीक्षित
4.		4070.00.800.89.00.42	32.50	24.90	प्रतीक्षित
5.		4202.01.800.97.00.42	50.00	47.43	प्रतीक्षित
6.		4202.03.800.89.00.42	50.00	49.29	प्रतीक्षित
7.		4202.04.101.99.00.42	2.88	2.73	प्रतीक्षित
8.		4210.03.102.98.00.42	1.00	0.92	प्रतीक्षित
9.		4235.02.101.87.00.42	2.66	1.47	प्रतीक्षित
10.		4235.02.104.94.00.42	6.53	2.16	प्रतीक्षित
11.		4235.02.800.90.00.42	10.00	8.73	प्रतीक्षित
12.	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग (पूँजीगत प्रभारित)	5054.04.800.99.00.42	55.00	39.52	प्रतीक्षित
कुल			260.88	205.39	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.6

(पैराग्राफ 3.5.2 में संदर्भित)

योजनाएं जिनके लिए संशोधित परिव्यय (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत्त					
1.	अनुदान सं. 04 वित्त	2043.00.101.93- वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का कार्यान्वयन	1.00	1.00	शून्य
2.	अनुदान सं. 04 वित्त	2043.00.101.92- बिल बनवाओ ईनाम पाओ	1.00	1.00	शून्य
3.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.01.113.96- समग्र शिक्षा (टापअप) प्रारंभिक शिक्षा	0.03	145.95	शून्य
4.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.01.113.95- समग्र शिक्षा (टापअप) राज्य शेर टीचर्स एडुकेशन	0.01	22.10	शून्य
5.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.101.97- दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एडुकेशन को सहायता अनुदान	30.00	7.00	शून्य
6.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.62- शैक्षिक सम्मेलनों का संचालन	5.00	1.00	शून्य
7.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.60- वर्चुअल स्कूल	2.00	2.00	शून्य
8.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.56- देशभक्ति पाठ्यक्रम	2.00	2.00	शून्य
9.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.53- विशिष्ट उत्कृष्टता वाले विद्यालयों को सहायता अनुदान	100.00	19.00	शून्य
10.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.51- उद्यमिता विकास कार्यक्रम गतिविधियां	30.00	10.00	शून्य
11.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.49- इन्क्यूबेशन विजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.01	5.00	शून्य
12.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.47- देश के मंत्र के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	0.02	5.00	शून्य
13.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.113.94- समग्र शिक्षा (टापअप) माध्यमिक शिक्षा	0.01	11.80	शून्य
14.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्यख्यान के लिए स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
15.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2203.00.112.44- विश्वविद्यालयों/कालेजों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना	4.00	4.00	शून्य
16.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2203.00.112.35- दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी को मेडीटेशन एवं योगा के लिए सहायता अनुदान	15.00	3.57	शून्य
17.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2230.03.101.91.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)	24.00	21.50	शून्य
18.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2230.03.789.95.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस) (एससीवीकी)	1.01	3.50	शून्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	संशोधित परिचय	वास्तविक व्यय
19.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2202.03.102.82- डा.बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को भारतीय भाषा में अभिलेखीय अनुसंधान को सहायत अनुदान	2.00	2.00	शून्य
20.	अनुदान सं. 06 शिक्षा	2205.00.001.88- डा.बी.आर. अम्बेडकर के प्रेरक जीवन पर अभियान	10.00	10.00	शून्य
21.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.56.97- स्ट्रीट थिएटर और प्रदर्शन कलाएँ	5.00	5.00	शून्य
22.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.48- गढ़वाली, कुमाऊंजी और जौनसारी अकादमी को सहायता अनुदान	2.00	1.54	शून्य
23.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.38 -मुख्यमंत्री कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन योजना	5.00	1.00	शून्य
24.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2205.00.102.36 -भारत का त्योहार	10.00	10.00	शून्य
25.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.87- प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.01	1.00	शून्य
26.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.85- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	10.00	1.00	शून्य
27.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.83- इंग्लिश स्पोकन कार्यक्रम के लिए डीएसईयू को अनुदान सहायता	0.01	1.00	शून्य
28.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.104.74- दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान	50.00	1.00	शून्य
29.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.110.50- दिल्ली राज्य महिला स्वास्थ्य मिशन मोहल्ला क्लिनिक के लिए अनुदान सहायता	14.50	1.00	शून्य
30.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.72-कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (एनआरएचएम) के लिए सहायता अनुदान	200.01	244.00	शून्य
31.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.800.67- रोगी कल्याण समिति को सहायता अनुदान	10.00	2.00	शून्य
32.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.104.60- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) (- एनएसएपी) (सीएसएस)	2.35	2.35	शून्य
33.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.03.101.98 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	44.50	44.50	शून्य
34.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.03.102.98- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएसएपी) (सीएसएस)	4.67	4.67	शून्य
35.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.22- माता-पिता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी समितियों का प्रशिक्षण (प्रारंभिक बचपन शिक्षा)	2.00	1.00	शून्य
36.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.16.92- आंगनवाड़ी सेवा योजना - आधार नामांकन किट की खरीद	1.71	1.70	शून्य
37.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.98- सार्वजनिक - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	1.80	1.08	शून्य

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
38.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.97-पीएमएमवीवाई- फ्लेक्सी फंड	2.10	3.50	शून्य
39.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.92- संबल - वन स्टॉप सेंटर	0.02	1.90	शून्य
40.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.18- महिलाओं के सम्मान हेतु व्यवहार परिवर्तन	12.00	1.00	शून्य
41.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.13.90- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	0.02	1.00	शून्य
42.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2236.02.101.71- पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त आहार	10.00	1.00	शून्य
43.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.01.190.97- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए डीएससीएफडीसी को वित्तीय सहायता	2.53	1.75	शून्य
44.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.01.789.79- जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना (एससीएसपी)	70.00	1.50	शून्य
45.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.03.277.75- अल्पसंख्यकों/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना	90.00	4.86	शून्य
46.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.200.78- प्रख्यात हस्तियों के जन्म एवं मृत्यु वर्षगांठ हेतु योजना	2.00	1.90	शून्य
47.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3055.00.001.87- फीडर बस सेवा/विधुत वाहन	1.00	1.00	शून्य
48.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3055.00.190.89- एमआरटीएस को अन्य अनुदान	0.01	1.00	शून्य
49.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.001.84- सदस्य परिषद के लिए सार्वजनिक सहभागिता	6.00	6.00	शून्य
50.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3456.00.001.94- राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हेतु अभियान	10.00	5.00	शून्य
51.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3456.00.103.93- आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए बाजार हस्तक्षेप का प्रावधान	5.00	2.00	शून्य
52.	अनुदान संख्या 10-विकास	2515.00.800.77 - आईडीआरयूवी कार्यो की मरम्मत के लिए 5% परिव्यय सहित डीवीडीबी के माध्यम से जल निकायो सहित आईडीआरयूवी कार्य (सामान्य)	1.40	1.40	शून्य
53.	अनुदान संख्या 10-विकास	2052.00.090.48- दिल्ली वक्फ बोर्ड को सहायता अनुदान	63.01	71.45	शून्य
54.	अनुदान संख्या 10-विकास	2225.04.102.97- अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस)	9.00	9.00	शून्य
55.	अनुदान संख्या 10-विकास	2245.05.101.99- दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (केंद्र शेयर)	15.00	15.00	शून्य
56.	अनुदान संख्या 10-विकास	2245.05.101.98- दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया निधि (राज्य हिस्सा)	5.00	3.75	शून्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
57.	अनुदान संख्या 10-विकास	2406.04.103.98- राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एससीएएफ) से वित्तपोषित जलग्रहण क्षेत्र उपचार संयंत्र	1.05	1.00	शून्य
58.	अनुदान संख्या 10-विकास	2015.00.106.98.98- चुनाव पर व्यय	0.01	1.30	शून्य
59.	अनुदान संख्या 10-विकास	2015.00.106.95.98- चुनाव पर व्यय	0.01	2.50	शून्य
60.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.04.103.86 -स्मॉग टावर के लिए डीपीसीसी को अनुदान	3.00	3.00	शून्य
61.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.04.103.85- दिल्ली में अग्रिम वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए वास्तविक समय स्रोत विभाजन और पूर्वानुमान के लिए डीपीसीसी को अनुदान	2.01	2.80	शून्य
62.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2070.00.800.90- एमसीडी को जब्ती जुर्माने की प्रतिपूर्ति,	2.50	1.78	शून्य
63.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.05.800.85- बाजार विकास निधि	1.01	2.00	शून्य
64.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2217.80.191.04.95- क्षमता निर्माण और ए एवं ओई के लिए शहरी विकास विभाग (सीएसएस)	2.70	5.00	शून्य
65.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	3475.00.108.94-दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	23.35	5.32	शून्य
66.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2810.00.105.98- सौर ऊर्जा हेतु उत्पादन आधारित असंवेदनशील योजना	5.01	8.60	शून्य
राजस्व दत्तमत्त कुल			936.39	769.57	शून्य
पूंजीगत दत्तमत्त					
67.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.202.92- वर्चुअल स्कूल	8.00	8.00	शून्य
68.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.202.91- विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय की स्थापना	50.00	3.00	शून्य
69.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.202.90- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल	4.00	1.00	शून्य
70.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4250.00.201.83.98- औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिणाम क्षेत्र-1 के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)	3.10	2.31	शून्य
71.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.04.101.96- अवसंरचना विकास	5.00	1.00	शून्य
72.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.04.800.85- एसीएल भवन का निर्माण/नवीनीकरण	15.00	10.00	शून्य
73.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.01.203.96- इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि का आवंटन एवं भवन निर्माण	20.00	16.00	शून्य
74.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	4235.02.101.82- विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम 1995 (एसआईपीडीए) (सीएसएस)	5.00	5.00	शून्य
75.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	5055.00.050.86- बस कतार आश्रयों का निर्माण	75.00	1.00	शून्य
76.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.96- एमआरटीएस के अधीनस्थ भूमि अधिग्रहण के लिए ऋण	413.00	312.00	शून्य
77.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.90- डीएमआरसी को इक्विटी पूंजी (मेट्रो लाइट)	25.00	1.00	शून्य
78.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	5475.00.102.88- डिस्ट्रिक्ट फोरम एवं राज्य आयोग को आवास प्रदान करना	2.00	2.00	शून्य

क्र. सं.	अनुदान सं. एवं नाम	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिचय	संशोधित परिचय	वास्तविक व्यय
79.	अनुदान संख्या 10-विकास	4403.00.101.92- पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	1.01	1.53	शून्य
80.	अनुदान संख्या 10-विकास	4250.00.101.99- आपदा आकस्मिकता योजना/आपदा प्रतिक्रिया निधि	5.00	5.00	शून्य
81.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4217.60.051.95- मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास	300.00	1.00	शून्य
82.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.202.89- डिजिटल कक्षाओं का निर्माण	150.00	1.00	शून्य
83.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.203.89- आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर का निर्माण - धीरपुर	50.00	1.00	शून्य
84.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.203.88- आम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली (एयूडी) परिसर का निर्माण - रोहिणी	50.00	1.00	शून्य
85.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4202.01.203.87- दिल्ली टीचर्स विश्व विद्यालय का निर्माण	50.00	15.00	शून्य
86.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4801.05.800.87- एचटी/एलटी ट्रांसमिशन विद्युत लाइनों का स्थानांतरण	8.00	8.00	शून्य
87.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4810.00.101.99- ऊर्जा नवीकरणीय	10.00	10.00	शून्य
पूँजीगत दत्तमत्त कुल			1,249.11	405.84	शून्य
कुल योग			21,85.50	1,175.41	शून्य

परिशिष्ट 3.7

(पैराग्राफ 3.5.2 में संदर्भित)

योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
राजस्व दत्तमत्त				
1.	अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन	2052.00.090.38 -मुख्यमंत्री का जनता से संवाद	20.00	0.00
2.	अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन	2070.00.104.97- सतर्कता निदेशालय	8.67	0.00
3.	अनुदान संख्या 03-न्याय का प्रशासन	2014.00.103.98 - निर्वाचित सांसदों और विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए साथ में सौदा करने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।	2.60	0.00
4.	अनुदान संख्या 04-वित्त	2052.00.090.36- दिल्ली मिशन 2047 - अध्ययन, नीति, योजना और निष्पादन	5.00	0.00
5.	अनुदान संख्या 04-वित्त	3451.00.102.95- दिल्ली में निवेश और उद्यमों के लिए ब्यूरो को सहायता पाठ्यक्रम का विकास अनुदान करने हेतु	1.00	0.00
6.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.01.101.91 - विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्ति	1.00	0.00
7.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.104.98 - शिक्षकों की नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	0.00
8.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.72- स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्यीय छात्र आई-कार्ड जारी करना	10.00	0.00
9.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.71- सिंगल शिफ्ट विद्यालयों में स्कूल समय के बाद पाठ्योत्तर गतिविधियों को बढ़ावा देना	5.00	0.00
10.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.54- ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए डीबीएसई को अनुदान सहायता	25.00	0.00
11.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.02.109.50- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल	6.00	0.00
12.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.001.98- छात्र परामर्श कार्यक्रम के लिए डीटीयू को सहायता अनुदान	5.00	0.00
13.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.80.001.83 - मौखिक अंग्रेजी कौशल और संचार क्षमता के विकास के लिए विशेष कक्षाओं का संचालन	11.69	0.00
14.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.80.001.82- शिक्षा मंत्री जनता से जुड़ाव/संवाद	10.00	0.00
15.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2204.00.101.79- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	0.00
16.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2204.00.101.78- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	0.00
17.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2204.00.101.77- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
18.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2230.03.101.93- छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (आईटीआई)	2.80	0.00
19.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.001.96- दिल्ली उच्च एवं तकनीकी शिक्षा आश्वासन योजना के लिए सहायता अनुदान (दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट के तहत)	60.00	0.00
20.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.102.84 - खेल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	50.01	0.00
21.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	2202.03.800.84- स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम	25.00	0.00
22.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.84- आम आदमी डेंटल क्लिनिक	4.5	0.00
23.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.75- स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफसीडब्ल्यू) (सीएसएस) के लिए कोविड-19 टीकाकरण की परिचालन लागत के लिए सहायता अनुदान	6.00	0.00
24.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.01.200.70- स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों (एचसीडब्ल्यू) और फ्रंट लाइन वर्कर्स (एफसीडब्ल्यू) के लिए सीओवीआईडी-19 टीकाकरण की परिचालन लागत के लिए सहायता अनुदान (राज्य शेर)	4.00	0.00
25.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.80.800.59- दिल्ली आरोग्य कोष	50.00	0.00
26.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3454.02.800.95.99 -सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	0.00
27.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.05.105.67 -डीडीयू मेडिकल कॉलेज की स्थापना	1.00	0.00
28.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210.06.102.85- खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना (सीएसएस)	1.08	0.00
29.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.17.91- पोषण घटक के अलावा किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)	1.00	0.00
30.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.16.94- किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)-पोषण घटक	1.00	0.00
31.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.102.16.93- पोषण घटक के अलावा किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)	1.00	0.00
32.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.103.17- महिला सहायता प्रकोष्ठ (महिला हेल्प डेस्क)	2.00	0.00
33.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.789.91.97- किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)-पोषण घटक-राज्य शेर (सीएसएस)	1.00	0.00
34.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2235.02.789.92.97- किशोरियों के लिए योजना (एसएजी)-पोषण घटक	1.00	0.00
35.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	2225.01.277.42- माध्यमिक कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कनिष्ठ छात्रवृत्ति योजना	49.00	0.00
36.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.73- आम आदमी कैंटीन के लिए डीटीडीसी को सहायता अनुदान	5.00	0.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
37.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.70- दिल्ली के फूड हब के पुनर्विकास के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	20.00	0.00
38.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.69- दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	250.00	0.00
39.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.67- दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
40.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.01.190.66- दिल्ली फिल्मस फंड के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	30.00	0.00
41.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.63- दिल्ली की दिवाली के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	15.00	0.00
42.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.62- पूर्वचल महोत्सव के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	10.00	0.00
43.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.61- भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	10.00	0.00
44.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	3452.80.104.59- पर्यटन और विरासत फैलोशिप के लिए डीटीडीडीसी को सहायता अनुदान	1.00	0.00
45.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2851.00.004.91- स्टार्ट-अप का विकास एवं अनुसंधान	50.00	0.00
46.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2851.00.004.90- स्टार्ट-अप फेस्टिवल	10.00	0.00
47.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.08.600.90- पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजनाओं (सीएसएस) का निरूपण	6.34	0.00
48.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.98- क्लाउड किचन क्लस्टर के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
49.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.97- दिल्ली बाज़ार प्लेटफार्म के लांच के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	20.00	0.00
50.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.96- दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिटी के प्रचार और विकास के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	10.00	0.00
51.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.95- दिल्ली के गांधी नगर गारमेंट हब के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
52.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2852.80.104.94- गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्जनन के लिए डीएसआईआईडीसी को सहायता अनुदान	25.00	0.00
53.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	2230.02.101.72- रोजगार बाजार	12.00	0.00
54.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3456.00.102.93- टीपीडीएस का कम्प्यूटरीकरण-(सीएसएस)	3.20	0.00
55.	अनुदान संख्या 09-उद्योग	3475.00.106.90- लीगल मेट्रोलाजी विंग (सीएसएस) का सुदृढीकरण	1.20	0.00
56.	अनुदान संख्या 10-विकास	2401.00.104.94- परम्परागत कृषि विकास योजना (सीएसएस)	4.71	0.00
57.	अनुदान संख्या 10-विकास	2215.02.107.99- एसटीपी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुदान	1.00	0.00
58.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.03.103.87- पर्यावरण के प्रचार, संरक्षण और संरक्षण में गैर सरकारी संगठनों को सहायता	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
59.	अनुदान संख्या 10-विकास	3435.03.103.86- पर्यावरण डेटा सृजन, सर्वेक्षण, अनुसंधान परियोजना और अन्य गतिविधियां	2.00	0.00
60.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.02.191.79- मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना हेतु अनुदान	23.00	0.00
61.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2216.05.800.99- मंत्रिपरिषद के सदनों के लिए सुरक्षा एवं स्वच्छता सेवाएँ	1.50	0.00
राजस्व दत्तमत्त कुल			967.30	0
राजस्व प्रभारित				
62.	अनुदान संख्या 03-न्याय का प्रशासन	2015.00.102.00- निर्वाचन अधिकारी	1.00	0.00
63.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.90- डीएमआरसी को इक्विटी पूंजी (मेट्रो लाइट)	1.00	0.00
राजस्व प्रभारित कुल			2.00	0.00
पूंजीगत दत्तमत्त				
64.	अनुदान संख्या 02-सामान्य प्रशासन	4059.60.051.75- वजीरपुर एवं परपड़गंज में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का विकास	43.00	0.00
65.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4202.02.104.87- नए पॉलिटेक्निक (सीएसएस) की स्थापना	4.00	0.00
66.	अनुदान संख्या 06-शिक्षा	4250.00.201.86- सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई (सीएसएस) में अपग्रेड करना	1.75	0.00
67.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.200.93- आंख और कान की देखभाल सेवाओं के लिए मोबाइल वैन क्लिनिक	1.00	0.00
68.	अनुदान संख्या 07-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.04.107.90- वायरल रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला की स्थापना (केंद्रीय क्षेत्र योजना)	2.98	0.00
69.	अनुदान संख्या 08-समाज कल्याण	7055.00.190.91- भूमि अधिग्रहण (मेट्रो लाइट)	25.00	0.00
70.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4059.60.051.77- हज हाउस का निर्माण	1.00	0.00
71.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4235.02.104.93- सेवा सदन परिसर, लाम्बोर में भवन का निर्माण	40.00	0.00
72.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.95- बाहरी रिंग रोड पर मजनु का टीला और मेटकाफ हाउस पर फ्लाईओवर	1.00	0.00
73.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.70 खेड़ा कलां से खेड़ा खुर्द रोड पर रेलवे क्रॉसिंग नंबर एलसी-12 पर आरओबी/आरयूबी का निर्माण	25.00	0.00
74.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.90- वजीराबाद से डीएनडी फ्लाईओवर तक रिंग रोड के साथ नया बाईपास रोड	5.00	0.00
75.	अनुदान संख्या 11-शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.84- एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर विकास एवं स्ट्रीट नेटवर्क/रोहतक रोड/एनएच-10 (ज्वाला हेरी मार्केट रेड लाइट से ज्वालापुरी रेड लाइट) के कॉरिडोर के लिए लाइट कनेक्टिविटी	50.00	0.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिचय	संशोधित परिचय
76.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.83- मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की व्यापक योजना	5.00	0.00
77.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.337.80- महरोली-बदरपुर कॉरिडोर (डीएमआरसी को भुगतान)	120.00	0.00
78.	अनुदान संख्या 11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	4801.05.800.86- जगमगाती दिल्ली कार्यक्रम के तहत 11केवी नेटवर्क को बेयर कंडक्टर से इंसुलेटेड कंडक्टर में परिवर्तित करना	22.18	0.00
पूँजीगत दत्तमत्त कुल			346.91	0.00
कुल योग			1,316.21	0.00

परिशिष्ट 3.8
(पैराग्राफ 3.5.3(iii) में संदर्भित)
केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय पर अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में अनुपूरक सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का प्रतिशत 2023
1	03--न्याय का प्रशासन	2235.01.800.92.00.31	63.96	32.95	51.53
2	05--गृह	4055.00.800.99.00.52	15.65	12.70	81.19
3	05-- गृह	4070.00.800.98.00.52	204.24	198.10	96.99
4	06--शिक्षा	2202.01.112.84.00.31	24.26	14.00	57.70
5	06--शिक्षा	2202.01.112.99.00.21	122.32	72.48	59.26
6	06--शिक्षा	2202.02.105.95.00.31	46.63	28.66	61.46
7	06--शिक्षा	2202.02.113.98.00.35	12.12	10.12	83.49
8	07 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	4210.01.110.92.00.52	13.42	12.71	94.73
9	08--समाज कल्याण	2225.01.277.71.00.50	52.40	35.06	66.92
10	08--समाज कल्याण	3452.80.104.71.00.31	16.69	12.32	73.79
11	09--उद्योग	3456.00.102.85.00.50	137.60	82.95	60.29
12	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.01.191.98.00.35	85.57	60.57	70.79
13	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	2215.02.106.99.00.35	20.34	19.09	93.85
14	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	3604.00.200.80.93.31	702.65	508.73	72.40
15	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.77.00.53	34.52	19.61	56.80
16	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.04.101.79.00.53	87.32	60.83	69.66
17	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	5054.043.37.86.00.53	34.75	20.10	57.83
18	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.190.98.00.55	40.0	31.25	78.13
19	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.75.00.55	128.23	90.73	70.76
20	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.01.191.77.00.55	84.14	44.14	52.46
21	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.85.00.55	104.18	84.18	80.80
22	11- शहरी विकास एवं लोक निर्माण	6215.02.191.95.00.55	18.49	12.24	66.20
कुल			2,049.48	1,463.52	

स्रोत: प्रधान लेखा कार्यालय, रा.रा.क्षे.दि.स.

परिशिष्ट 3.9

(पैराग्राफ 3.5.4 में संदर्भित)

केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष/योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
राजस्व दत्तमत्त					
1.	अनुदान संख्या 06	2230.03.101.91.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)	24.00	21.50	शून्य
2.	अनुदान संख्या 06	2230.03.789.95.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)(एससीएसपी)	1.01	3.50	शून्य
3.	अनुदान संख्या 08	2235.02.104.60- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	2.35	2.35	शून्य
4.	अनुदान संख्या 08	2235.03.101.98- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) (एनएसएपी) (सीएसएस)	44.50	44.50	शून्य
5.	अनुदान संख्या 08	2235.03.102.98- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएसएपी) (सीएसएस)	4.67	4.67	शून्य
6.	अनुदान संख्या 10	2225.04.102.97- अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस)	9.00	9.00	शून्य
7.	अनुदान संख्या 11	2217.80.191.04.95-क्षमता निर्माण हेतु नगर विकास विभाग एवं ए एवं ओई (सीएसएस)	2.70	5.00	शून्य
8.	अनुदान संख्या 11	3475.00.108.94-दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (सीएसएस)	23.35	5.32	शून्य
कुल			111.58	95.84	शून्य
पूंजीगत (दत्तमत्त)					
9.	अनुदान संख्या 08	4235.02.101.82- विकलांग व्यक्तियों के कार्यान्वयन के लिए योजना अधिनियम 1995 (एसआईपीडीए) (सीएसएस)	5.00	5.00	शून्य
कुल			5.00	5.00	शून्य
कुल योग			116.58	100.84	शून्य

परिशिष्ट 3.10

(पैराग्राफ 3.6(ई) में संदर्भित)

2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या-6-शिक्षा में निधियों का अतिरिक्त/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
2022-23							
राजस्व-दत्तमत्त							
1.	2202.01.113.96 - समग्र शिक्षा (टॉप अप) - प्रारंभिक शिक्षा	0.00	0.03	145.92	145.95	0.00	145.95
2.	2202.01.113.95 - समग्र शिक्षा - शिक्षक शिक्षा (टॉप अप) (राज्य शेर)	0.00	0.01	22.09	22.10	0.00	22.10
3.	2202.02.109.89 - लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता	15.00	0.00	1.20	16.20	14.95	1.25
4.	2202.02.109.49 - इनक्यूबेशन बिजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.00	0.01	4.99	5.00	0.00	5.00
5.	2202.02.109.47 - देश के मॉडर के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	0.00	0.02	4.98	5.00	0.00	5.00
6.	2202.02.113.98 - समग्र शिक्षा (राज्य शेर)	42.00	0.02	11.35	53.37	37.70	15.67
7.	2202.02.113.97- समग्र शिक्षा (सीएसएस)	60.00	0.01	9.99	70.00	56.54	13.46
8.	2202.02.113.94- समग्र शिक्षा (टापअप) सेकेंडरी एडुकेशन (सीएसएस)	0.00	0.01	11.79	11.80	0.00	11.80
9.	2204.00.102.66 - सेल्फ डिफेंस फार गर्ल्स स्टुडेंट्स स्कूल	2.00	0.01	7.65	9.66	0.06	9.60
10.	2204.00.104.99 - खेलकूद को बढ़ावा देना	15.61	0.00	1.55	17.16	14.09	3.07
11.	2230.03.789.95.00- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सी.एस.एस (एससीएसपी)	1.00	0.01	2.49	3.50	0.00	3.50
12.	2202.03.102.87 - प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.00	0.01	0.99	1.00	0.00	1.00
13.	2202.03.102.83 - स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम के लिए डीएसईयू को अनुदान सहायता	0.00	0.01	0.99	1.00	0.00	1.00
राजस्व दत्तमत्त कुल (2022-23)		135.61	0.15	225.98	361.74	123.34	238.4

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
पूँजीगत दत्तमत्त							
14.	4250.00.201.88- उपकरण	12.00	0.01	5.81	17.82	10.67	7.15
पूँजीगत दत्तमत्त कुल (2022-23)		12.00	0.01	5.81	17.82	10.67	7.15
कुल योग		147.61	0.16	231.79	379.56	134.01	245.55
2021-22							
राजस्व दत्तमत्त							
15.	2202.01.112.95-नार्थ दिल्ली म्यूनििसीपल कार्पोरेशन के लिए मिड डे मिल कार्यक्रम का सहायता अनुदान (सीएसएस)	13.00	0.01	5.18	18.19	11.00	7.19
16.	2202.02.113.98 -समग्र शिक्षा (राज्य शेयर)	42.00	0.01	1.99	44.00	18.22	25.78
17.	2202.02.113.97- समग्र शिक्षा (सीएसएस)	50.00	0.01	14.99	65.00	20.75	44.25
18.	2204.00.103.78- उत्कृष्ट खिलाड़ियों/स्पोर्ट्स कार्मिकों को नकद प्रोत्साहन एवं राजीव गांधी खेल पुरस्कार	15.00	0.01	3.50	18.51	13.64	4.87
19.	2203.00.112.50- दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	34.25	0.03	1.72	36.00	33.96	2.04
20.	2230.03.003.99 - शिल्पकार प्रशिक्षण योजना	114.18	0.04	2.03	116.25	109.83	6.42
21.	2230.03.003.76 - निदेशालय के अधीन संस्थानों में सुरक्षा एवं स्वच्छता का निजीकरण	7.74	0.01	0.25	8.00	6.75	1.25
22.	2202.03.102.87 - प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए जीआईए आंबेडकर विश्वविद्यालय	0.10	0.01	1.89	2.00	0	2.00
राजस्व दत्तमत्त कुल (2021-22)		276.27	0.13	31.55	307.95	214.15	93.8
2020-21							
राजस्व दत्तमत्त							
23.	2202.01.112.98 - मध्याह्न कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त विद्यालयों को सहायता अनुदान (सीएसएस)	3.18	0.01	3.10	6.29	3.11	3.18
24.	2202.01.112.95 - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	13.00	0.01	12.00	25.01	12.71	12.31
25.	2202.01.112.94- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	12.00	0.01	8.59	20.60	10.41	10.19
26.	2202.01.112.93- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	7.80	0.01	6.40	14.21	7.32	6.89

क्र.सं.	लेखा शीर्ष	मूल बजट	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	कुल प्रावधान से बचत
27.	2202.01.112.88 - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	9.00	0.01	4.49	13.50	2.64	10.86
28.	2202.01.112.87- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	8.00	0.01	3.12	11.13	2.17	8.96
29.	2202.01.112.86- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	5.00	0.01	2.67	7.68	1.47	6.21
30.	2202.01.789.99- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस) (एससीएसपी)	5.40	0.01	4.29	9.70	4.46	5.24
31.	2202.01.789.94- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस) (एससीएसपी)	2.00	0.01	0.38	2.39	0.89	1.50
32.	2202.01.789.88 - मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर) (एससीएसपी)	2.00	0.01	0.95	2.96	0.58	2.38
33.	2202.01.789.87- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर) (एससीएसपी)	1.70	0.01	0.73	2.44	0.46	1.98
34.	2202.01.789.86- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर) (एससीएसपी)	1.10	0.01	0.58	1.69	0.32	1.37
35.	2203.00.105.86 -, निर्देशन एवं प्रशासन पॉलिटैक्निक	175.48	0.01	6.52	182.01	156.33	25.68
36.	2202.03.102.87 - प्रारंभिक बचपन देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.60	0.01	1.39	2.00	0	2.00
कुल राजस्व दत्तमत्त (2020-21)		246.26	0.14	55.21	301.61	202.87	98.75

स्रोत: विनियोजन लेखे

परिशिष्ट 3.11

(पैराग्राफ 3.6 (एफ) में संदर्भित)

अनुदान संख्या: 06-शिक्षा के तहत संशोधित अप्रयुक्त परिव्यय

(₹ एक करोड़ या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
2020-21				
राजस्व प्रभारित				
1.	2202.02.109.69- दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) द्वारा अभिभावक कार्यशालाओं का आयोजन	20.00	1.50	शून्य
2.	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानो के प्रसारण हेतु स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
3.	2202.02.109.64- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रतिभा प्रोत्साहन (सीडब्ल्यूएसएन)	2.00	2.00	शून्य
4.	2202.80.001.85- दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को सहायता अनुदान	2.00	1.00	शून्य
5.	2202.80.001.82- शिक्षा मंत्री का जनता से जुड़ाव/संवाद	10.00	10.00	शून्य
6.	2202.80.001.74 गणितीय कौशल एवं योग्यता के विकास हेतु विशेष कक्षाओं का संचालन	8.00	1.75	शून्य
7.	2202.80.789.97- लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता	4.00	2.50	शून्य
8.	2204.00.101.79- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
9.	2204.00.101.78- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
10.	2204.00.101.77- शारीरिक शिक्षा में सुधार के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
11.	2204.00.104.53- स्पोर्ट्स एसोसिएशन को सहायता अनुदान	1.00	1.00	शून्य
12.	2204.00.104.46- विद्यार्थियों को खेल किट उपलब्ध कराना	65.00	1.00	शून्य
13.	2204.00.104.44- खेल अवसरचना का रखरखाव	5.00	5.00	शून्य
14.	2203.00.112.41- अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	10.00	शून्य
15.	2205.00.102.79 -साहित्य कला परिषद को राजकीय समारोह के आयोजन हेतु सहायता अनुदान	7.00	3.50	शून्य
16.	2202.03.102.87- प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.60	2.00	शून्य
17.	2202.03.102.86- दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय	5.00	1.00	शून्य
18.	2202.03.800.85- छात्रों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम	1.50	1.50	शून्य
पूँजीगत दत्तमत्त				
19.	4202.03.800.98- खेल मैदान, खेल परिसर, स्विमिंग पूल आदि का विकास।	24.65	20.00	शून्य
20.	4250.00.201.86- सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई (सीएसएस) में बदलना	2.95	1.55	शून्य
21.	4202.04.101.98- दिल्ली कला केंद्र	10.00	1.00	शून्य
22.	4202.01.203.96- इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण	0.00	10.25	शून्य

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
23.	4202.01.203.91- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	20.00	1.00	शून्य
2021-22				
राजस्व दत्तमत्त				
24.	2202.02.109.72- स्कूल स्वास्थ्य योजना और बहुउद्देश्यीय छात्र आई कार्ड जारी करना	22.00	2.00	शून्य
25.	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानों के प्रसारण हेतु स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
26.	2202.02.109.62-शैक्षिक सम्मेलन का संचालन	50.0	1.00	शून्य
27.	2202.02.109.61- सैनिक स्कूल एवं अकादमी	2.00	1.00	शून्य
28.	2202.02.109.60- वर्चुअल स्कूल	2.00	1.00	शून्य
29.	2202.02.109.56- देश भक्ति पाठ्यक्रम	2.00	1.00	शून्य
30.	2202.02.109.54- ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए डीबीएसई को सहायता अनुदान	0.00	15.00	शून्य
31.	2202.80.001.82- शिक्षा मंत्री का जनता से जुड़ाव/संवाद	10.00	1.00	शून्य
32.	2203.00.112.41- अनुसंधान अनुदान योजना	10.00	5.00	शून्य
33.	2202.03.001.99- छात्रों के लिए नवाचार पहल	1.00	1.00	शून्य
34.	2202.03.102.87- प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.10	2.00	शून्य
35.	2202.03.102.85- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	20.00	10.00	शून्य
36.	2202.80.004.87- उच्च शिक्षा फेलोशिप	4.00	4.00	शून्य
पूंजीगत दत्तमत्त				
37.	4202.01.202.93- सैनिक स्कूल एवं अकादमी	18.00	0.06	शून्य
38.	4202.03.800.98- खेल के मैदानों और खेल परिसर और स्विमिंग पूल आदि का विकास	24.65	5.00	शून्य
2022-23				
राजस्व दत्तमत्त				
39.	2202.01.113.96- समग्र शिक्षा (टॉप अप) - प्रारंभिक शिक्षा	0.00	145.95	शून्य
40.	2202.01.113.95- समग्र शिक्षा शिक्षक शिक्षा (टॉप अप) - राज्य शेर	0.00	22.10	शून्य
41.	2202.02.101.97- दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	7.00	शून्य
42.	2202.02.109.68- ऑनलाइन व्याख्यानों के प्रसारण के लिए स्टूडियो की स्थापना	1.00	1.00	शून्य
43.	2202.02.109.63- दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री परीक्षा शुल्क सहायता योजना	1.00	0.08	शून्य
44.	2202.02.109.62- शैक्षिक सम्मेलनों का संचालन	5.00	1.00	शून्य
45.	2202.02.109.60- वर्चुअल स्कूल	2.00	2.00	शून्य
46.	2202.02.109.56- देश भक्ति पाठ्यक्रम	2.00	2.00	शून्य
47.	2202.02.109.53- स्कूल विशेषीकृत उत्कृष्टता के लिए सहायता अनुदान	100.00	19.00	शून्य
48.	2202.02.109.51-उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रचारात्मक गतिविधियां	30.00	10.00	शून्य
49.	2202.02.109.49- इनक्यूबेशन बिजनेस ब्लास्टर टीमों के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.00	5.00	शून्य

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	शीर्ष/योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय (मूल बजट)	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
50.	2202.02.109.47- देश के मॅटर के लिए डीसीपीसीआर को सहायता अनुदान	0.00	5.00	शून्य
51.	2202.02.113.94- समग्र शिक्षा (टॉप अप) - माध्यमिक शिक्षा	0.00	11.8	शून्य
52.	2203.00.112.44- विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना	4.0	4.0	शून्य
53.	2203.00.112.35- ध्यान और योग के लिए दिल्ली फार्मास्युटिकल साइंसेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	15.00	3.57	शून्य
54.	2230.03.101.91- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	24.0	21.50	Nil
55.	2230.03.789.95.00 - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस) (एससीएसपी)	1.00	3.50	Nil
56.	2202.03.102.82 -भारतीय भाषा में अनुसंधान के लिए डी.बी.आर. आम्बेडकर यूनीवर्सिटी को सहायता अनुदान	2.00	2.00	Nil
57.	2205.00.001.88- डा.बी.आर. अम्बेडकर के प्रेरणात्मक जीवनशैली पर अभियान	10.00	10.00	Nil
58.	2205.00.102.56.97- स्ट्रिट थियेटर और परफार्मिंग आर्ट्स	5.00	5.00	Nil
59.	2205.00.102.48 -गढ़वाली, कुमायूँ, जनुसारी अकादमी को सहायता अनुदान	2.00	1.54	शून्य
60.	2205.00.102.38- मुख्यमंत्री कला एवं संस्कृति प्रोत्साहन योजना	5.00	1.00	शून्य
61.	2205.00.102.36-भारत का त्योहार	10.00	10.00	शून्य
62.	2202.03.102.87- प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल केंद्र के लिए आंबेडकर विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	0.00	1.00	शून्य
63.	2202.03.102.85- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को विशेष अनुदान	10.00	1.00	शून्य
64.	2202.03.102.83- स्पोकन इंग्लिश कार्यक्रम के लिए डीएसईयू को सहायता अनुदान	0.00	1.00	शून्य
65.	2202.03.104.74 - दिल्ली सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों के लिए सहायता अनुदान	50.00	1.00	शून्य
पूँजीगत-दत्तमत्त				
66.	4202.01.202.92 -वर्चुअल स्कूल	8.00	8.00	शून्य
67.	4202.01.202.91- विद्यालय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना	50.00	3.00	शून्य
68.	4202.01.202.90- बेघर बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल	4.00	1.00	शून्य
69.	4250.00.201.83.98- औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिणाम क्षेत्र-1 के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव)	3.10	2.31	शून्य
70.	4202.04.101.96- अवसंरचना विकास	5.00	1.00	शून्य
71.	4202.04.800.85- एसीएल भवन का निर्माण/नवीनीकरण	15.00	10.00	शून्य
72.	4202.01.203.96- इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि का आवंटन एवं भवन निर्माण	20.00	16.00	शून्य

परिशिष्ट 3.12
(पैराग्राफ 3.6(जी) में संदर्भित)
अनुदान सं. 06-शिक्षा के अंतर्गत व्यय की अधिकता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल व्यय		व्यय किया	
				पिछली तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का %	मार्च में आपूर्ति सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का %
2020-2021							
1	2202.01.113.97.00.31-समग्र शिक्षा (सीएसएस)	200.00	102.07	66.69	65.33	66.69	65.33
2	2202.01.113.98.00.31- समग्र शिक्षा सहायता अनुदान सामान्य (राज्य शेर)	200.00	79.87	53.14	66.53	53.14	66.53
3	2202.01.113.98.00.36 समग्र शिक्षा सहायता अनुदान वेतन(राज्य शेर)	35.00	32.10	28.80	89.72	28.80	89.72
4	2202.02.113.95.00.01- समग्र शिक्षा-शिक्षक शिक्षा	21.00	17.50	17.50	100.00	17.50	100.00
2021-2022							
5	2202.02.101.97.00.31-दिल्ली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सहायता अनुदान	30.00	30.00	25.00	83.33	25.00	83.33
6	2202.02.109.53.00.31-विशिष्ट उत्कृष्टता विद्यालय को सहायता अनुदान	38.00	38.00	38.00	100.00	38.00	100.00
7	2202.02.113.95.00.01- समग्र शिक्षा-शिक्षक शिक्षा	45.00	42.80	40.57	94.79	40.57	94.79
8	2202.02.789.94.00.33-छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सब्सिडी (एससीएसपी)	45.00	37.75	37.75	100.00	29.07	77.00
9	2202.02.800.40.00.33- छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए सब्सिडी	185.00	181.67	151.67	83.49	109.97	60.53
10	2202.03.102.84.00.31-खेल विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	44.25	44.25	34.25	77.40	34.25	77.40
11	2202.80.107.82.00.34-शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	20.00	18.15	18.15	100.00	18.15	100.00
12	2230.03.101.91.00.31- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (सीएसएस)	26.37	18.99	14.30	75.32	14.30	75.32
13	4202.01.203.91.00.53-खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	15.00	14.91	14.91	100.00	14.91	100.00
14	4202.01.203.96.00.53-इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की भूमि आवंटन एवं भवन निर्माण	10.25	10.25	10.25	100.00	10.25	100.00

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कुल व्यय		व्यय किया	
				पिछली तिमाही के दौरान कुल व्यय	अंतिम तिमाही के दौरान व्यय का %	मार्च में आपूर्ति सहित कुल व्यय	मार्च के लिए व्यय का %
15	4202.01.600.94.00.53-स्कूल भवनों की आउटसोर्सिंग के कार्य	135.00	132.28	124.23	93.92	87.76	66.35
16	4202.02.105.82.00.53-स्वायत्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं	625.00	558.33	404.36	72.42	381.77	68.38
2022-2023							
17	2202.01.112.84.00.31-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (राज्य शेयर)	54.38	24.26	24.26	100.00	14.00	57.70
18	2202.01.112.85.00.31-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए दिल्ली नगर निगम को सहायता अनुदान (सीएसएस)	115.05	45.54	45.54	100.00	45.54	100.00
19	2202.01.112.99.00.21-बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (सीएसएस)	138.56	122.32	72.48	59.26	72.48	59.26
20	2202.02.105.95.00.31-एससीईआरटी को सहायता अनुदान	63.50	46.63	28.66	61.46	28.66	61.46
21	2202.02.113.98.00.35-समग्र शिक्षा (राज्य शेयर)	12.50	12.12	10.12	83.49	10.12	83.49
22	2202.03.001.95.00.31- मेरिट कम मीन्स से जुड़ी वित्तीय सहायता के लिए दिल्ली उच्च शिक्षा सहायता ट्रस्ट को सहायता अनुदान	17.00	17.00	17.00	100.00	17.00	100.00
23	2202.80.107.82.00.34-शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण	20.00	19.12	19.12	100.00	19.12	100.00

परिशिष्ट 5.1
(पैराग्राफ 5.3.1 में संदर्भित)
एसपीएसई की सूची

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का क्षेत्र और नाम
सरकारी कंपनियाँ	
वित्त	
1.	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक और विकलांग वित्तीय विकास निगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी)
पावर	
4.	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)
5.	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल)
6.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल)
7.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)
सेवाएं	
8.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी)
9.	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी)
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल)
परिवहन	
11.	दिल्ली परिवहन और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)
वैधानिक निगम	
वित्त	
12.	दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी)
परिवहन	
13.	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	
सेवाएं	
14.	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल- डीएसआईआईडीसी की एसोसिएट कंपनी)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियाँ	
15.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (डीसीएडीएल-डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
16.	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड (डीएलएल- डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
17.	डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड (डीएमएसएल- डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
18.	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (डीईएल- डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)

² इन चार कंपनियों का कोई परिचालन नहीं है, हालांकि, वे लेखापरीक्षा के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार कर रहे हैं और भेज रहे हैं।

परिशिष्ट 5.2

(पैराग्राफ 5.4.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पीएसयू का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगम का महीना और वर्ष	वर्ष 2022-23 के अंत में इक्विटी ³				वर्ष ⁴ 2022-23 के अंत में बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
ए	विद्युत क्षेत्र										
1	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	पावर	जनवरी 2001	596.54	0.00	140.00	736.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पावर	जनवरी 2001	2074.19	0.00	0.00	2074.19	441.98	0.00	172.03	614.01
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	पावर	जुलाई 2001	3691.00	0.00	260.00	3951.00	0.00	0.00	197.05	197.05
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	पावर	जुलाई 2001	745.05	0.00	0.00	745.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई 2011	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ए			7106.78	0.00	400.01	7506.79	441.98	0.00	369.08	811.06
बी	वित्त क्षेत्र										
6	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यकों का कल्याण	जनवरी-83	38.12	11.88	0.00	50.00	68.24	0.00	0.00	68.24
7	दिल्ली वित्तीय निगम	वित्त	अप्रैल-67	26.48	0.00	0.12	26.60	33.00	0.00	0.00	33.00
	कुल बी			64.60	11.88	0.12	76.60	101.24	0	0	101.24
सी	सेवा क्षेत्र										
8	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	नवंबर-80	6.99	0.00	0.00	6.99	52.14	0.00	0.00	52.14
9	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसम्बर-75	6.28	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

³ आंकड़े 31 अक्टूबर 2023 तक प्राप्त नवीनतम खातों/जानकारी और 2022-23 के वार्षिक खातों के अनुसार

⁴ ऋणों में वर्तमान देनदारियों के रूप में खातों में दिखाए गए रा.रा.क्षे.दि.स. ऋणों की वर्तमान परिपक्वता शामिल है।

क्र.सं.	पीएसयू का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगम का महीना और वर्ष	वर्ष 2022-23 के अंत में इक्विटी ³				वर्ष ⁴ 2022-23 के अंत में बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (ए)	5 (बी)	5 (सी)	5 (डी)	6 (ए)	6 (बी)	6 (सी)	6 (डी)
10	भू-स्थानिक दिल्ली लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी	मई-08	10.76	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
11	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
12	डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.06	0.06
13	डीएसआईआईडीसी मेटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
14	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	डीएसआईआईडीसी और टीसीआईएल का संयुक्त उद्यम	अप्रैल-87	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल सी			24.03	0.00	1.03	25.06	52.14	0.00	0.06	52.20
डी	अवसंरचना क्षेत्र										
15	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	इंडस्ट्रीज	फरवरी-71	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	शहरी विकास	मई-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल डी			21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ई	परिवहन क्षेत्र										
17	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त-10	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
18	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर-71	1,983.85	0.00	0.00	1,983.85	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14
	कुल ई			1994.50	0.00	0.00	1994.50	11676.14	0.00	0.00	11676.14
	कुल ए + बी + सी + डी + ई			9210.91	11.88	401.16	9623.95	12271.50	0	369.14	12640.64

परिशिष्ट 5.3

(पैराग्राफ 5.5.1, 5.7.1 और 5.7.2 में संदर्भित)

नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए खाते प्राप्त हुए हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	एसपीएसई की गतिविधि और नाम	खातों की अवधि	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ⁵	निवल मूल्य ⁶	संचित लाभ/हानि (मुक्त आरक्षित निवल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ए	एसपीएसई जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था									
ए 1	पावर									
1	इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2020-21	2022-23	218.75	141.77	275.66	736.54	2,302.57	2,302.57	1,566.47
2	प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	1,044.36	652.47	3,038.36	2,074.19	7,695.35	6,845.15	4,771.55
3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2021-22	2022-23	969.77	766.22	1,556.94	3,951.00	5,008.20	4,811.13	860.13
4	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	161.67	139.64	0.00	745.05	396.24	63.60	-681.45
	कुल ए1			2,394.55	1,700.1	4,870.96	7,506.78	15,402.36	14,022.45	6,516.7
ए2	अन्य									
5	दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2023-24	-9.96	-10.58	0.65	45.20	104.61	28.07	-17.13
6	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	-3.65	-4.36	705.27	6.99	59.55	57.41	50.41
7	दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	164.30	144.68	789.65	21.00	1197.04	1197.04	1176.04
8	दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	-0.37	-0.81	845.68	6.28	208.68	208.68	202.40
9	दिल्ली परिवहन और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	27.82	20.79	77.76	10.65	195.19	195.19	184.54
10	दिल्ली वित्तीय निगम	2022-23	2023-24	-12.94	-17.14	3.61	26.60	20.29	-12.71	-39.31

⁵ प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालिक ऋण और संचित लाभ/हानि (-) आस्थगित राजस्व व्यय का कुल योग नियोजित पूंजी है। नियोजित पूंजी तक पहुंचने के लिए आईपीजीसीएल से संबंधित ₹ 0.44 करोड़ और पीपीसीएल से संबंधित में ₹ 0.59 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाया गया।

⁶ निवल मूल्य चुकता पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय को घटाकर कुल योग है। निवल मूल्य के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए आईपीजीसीएल के संबंध में ₹ 0.44 करोड़ और पीपीसीएल के संबंध में ₹ 0.59 करोड़ का राजस्व व्यय काटा गया।

क्र.सं.	एसपीएसई की गतिविधि और नाम	खातों की अवधि	वर्ष जिसमें प्राप्त हुआ	ब्याज और कर से पहले निवल लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी ⁵	निवल मूल्य ⁶	संचित लाभ/हानि (मुक्त आरक्षित निवल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	दिल्ली परिवहन निगम	2021-22	2022-23	-108.33	-8,498.35	558.78	1,983.85	-47,081.04	-58,757.18	-60,741.03
12	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2021-22	2022-23	3.42	2.53	5.74	10.76	31.12	31.12	20.36
13	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम	2020-21	2021-22	0	0	0	0	0	0	0
	कुल ए2			60.29	-8,363.24	2987.14	2,111.33	-45,264.56	-57,052.38	-59,163.72
	कुल ए (ए1+ए2)			2,454.84	-6,663.14	7,858.1	9,618.11	-29,862.2	-43,029.9	-5,264.7
बी	एसपीएसई जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश नहीं किया था									
बी 1	पावर									
14	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	0.22	0.21
	कुल बी1			0.00	0.00	0.00	0.01	0.22	0.22	0.21
बी2	अन्य									
15	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.06	-0.06	-0.07
16	डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड	2022-23	2023-24	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.06	-0.07
17	डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.09	-0.09	-0.10
18	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड	2021-22	2022-23	8.21	5.55	165.92	1.00	41.26	41.26	40.26
	कुल बी2			8.21	5.55	165.92	1.03	41.11	41.05	40.02
	कुल बी (बी1+बी2)			8.21	5.55	165.92	1.04	41.33	41.27	40.23
	कुल योग (ए+बी)			2,463.05	-6,657.59	8,024.02	9,619.15	-29,820.9	-42,988.7	-52,606.8

परिशिष्ट 5.4

(पैराग्राफ 5.13.1 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	डीएसआईआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने डीआईडीओएम फंड पर अर्जित ₹ 47.16 करोड़ के ब्याज को डीआईडीओएम फंड के हिस्से के रूप में दिखाने के बजाय अपनी आय के रूप में लिया है इसके परिणामस्वरूप अन्य आय को अधिक बताया गया और डीआईडीओएम फंड को प्रत्येक में ₹ 47.16 करोड़ कम दिखाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ ₹ 47.16 करोड़ अधिक बताया गया। औद्योगिक श्रमिक आवास परिसरों के संबंध में वर्ष 2011-12 से 2021-22 के लिए भुगतान की गई ₹ 0.53 करोड़ के संपत्ति कर को गलत तरीके से कार्य-प्रगति के रूप में दर्ज किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य खर्चों को कम बताया गया और इन्वेंटरी - डब्ल्यूआईपी हाउसिंग को प्रत्येक में ₹ 0.53 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष का लाभ भी उसी राशि से अधिक बताया गया।
2	डीएससीएफडीसी (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> गलत लेखांकन के मामलों में अग्रिम के रूप में ₹ 0.51 करोड़ के व्यय की बुकिंग और पीडब्ल्यूडी को ₹ 0.27 करोड़ के अग्रिम में से ₹ 0.18 करोड़ के व्यय की गैर-बुकिंग और विभिन्न, विद्युत प्रतिष्ठानों और यांत्रिक उपकरण की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव के लिए मार्च 2016 तक व्यय के रूप में 2009-16 की अवधि के लिए पीडब्ल्यूडी को देय ₹ 1.25 करोड़ को शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप व्यय में ₹ 0.18 करोड़ (2016-17) की कमी तथा, पूर्व अवधि के व्यय में ₹ 1.25 करोड़ (2009-10 से 2015-16) की कमी आई। वर्तमान देनदारियों को ₹ 1.25 करोड़, अग्रिम को ₹ 0.78 करोड़ (₹ 0.51 करोड़ + ₹ 0.27 करोड़) अधिक बताया गया और परिणामस्वरूप हानि को ₹ 1.43 करोड़ (₹ 1.25 करोड़ + ₹ 0.18 करोड़) कम बताया गया।
3	डीएससीएफडीसी (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> अन्य खर्चों में 2009-17 की अवधि के लिए विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों और यांत्रिक उपकरणों की वार्षिक मरम्मत और रखरखाव (एआरएमओ) के लिए पीडब्ल्यूडी को देय ₹ 1.43 करोड़ और वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 0.26 करोड़ (पीडब्ल्यूडी द्वारा सूचित) का व्यय शामिल नहीं है, जो चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्ज किया जाना था। कंपनी ने 2017 तक पीडब्ल्यूडी को ₹ 0.78 करोड़ का भुगतान किया था, हालाँकि, इसे पीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में बुक किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय में ₹ 0.26 करोड़ (2017-18) की कमी बताई गई, पूर्व अवधि के खर्चों में ₹ 1.43 करोड़ (2009-10 से 2016-17) की कमी बताई गई, वर्तमान देनदारियों में ₹ 1.69 करोड़ (₹ 1.43 करोड़ + ₹ 0.26 करोड़) की कमी बताई गई और ₹ 1.69 करोड़ की हानि हुई।
4	आईपीजीसीएल (2020-21)	<ul style="list-style-type: none"> 2004-2005 से 2020-2021 की अवधि के लिए एसडीएमसी को देय संपत्ति कर की राशि ₹ 14.89 करोड़ को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, वर्तमान देनदारियों और अन्य खर्चों में से प्रत्येक में ₹ 14.89 करोड़ की कमी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा तक लाभ अधिक बताया गया है।
5	पीपीसीएल (2020-21)	<ul style="list-style-type: none"> दक्षिण दिल्ली नगर निगम को देय ₹ 4.70 करोड़ की राशि के संपत्ति कर को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, अन्य वर्तमान देनदारियों और अन्य खर्चों को ₹ 4.70 करोड़ कम बताया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक को उसी सीमा तक लाभ में अधिक बताया गया है।
6	डीटीआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने 31.03.2022 तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को पीडब्ल्यूडी पार्किंग जमा से प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज के कारण देय ₹ 22.67 करोड़ की अवैतनिक राशि पर ₹ 7.83 करोड़ के ब्याज का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक में आय को अधिक बताया गया और अन्य वित्तीय देनदारियों को ₹ 7.83 करोड़ कम बताया गया। अतः लाभ भी ₹ 7.83 करोड़ से अधिक बताया गया। कंपनी ने 24.05.2014 से 31.03.2022 तक 'स्टडीज़ एंड एडवाइजरी कंसल्टेंसी' की ₹ 1.27 करोड़ की शेष ब्याज राशि पर ₹ 0.70 करोड़ की ब्याज देनदारी का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों के साथ-साथ व्यय को भी ₹ 0.70 करोड़ कम बताया गया। अतः लाभ भी ₹ 0.70 करोड़ से अधिक बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
		<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी को परिवहन विभाग (प.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. के माध्यम से कंपनी के गठन के समय (अगस्त 2010) उच्च क्षमता बस प्रणाली (एचसीबीएस) ₹ 17.48 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी जबकि इसे (मई 2018) प.वि. को वापस कर दिया गया था लेकिन खातों में ₹ 14.47 करोड़ की ब्याज देनदारी का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देनदारियों को कम और आय को ₹ 14.47 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, लाभ भी ₹ 14.47 करोड़ से अधिक बताया गया। • दिल्ली के लिए आउटडोर विज्ञापन नीति के खंड संख्या 4.1 के अनुसार, 50 प्रतिशत राजस्व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के साथ साझा किया जाना है। हालांकि, कंपनी ने सभी रियायतग्राहियों के मामले में एमसीडी शेयर के लिए केवल 25 प्रतिशत देयता/खर्च प्रदान किया है। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य वर्तमान देयताएं' और 'अन्य व्यय (एमसीडी शेयर)' को ₹ 4.91 करोड़ कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए 'लाभ' को भी उसी सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया।

परिशिष्ट 5.5

(पैराग्राफ 5.13.1 में संदर्भित)

सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
1	डीएससीएससी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी संपूर्ण मौजूदा सड़कों के नवीनीकरण और आईएफसीडी द्वारा निर्मित सिरसपुर गोदाम में कॉम्प्लेक्स ही हार्वेस्टिंग प्रणाली से संबंधित ₹ 1.93 करोड़ का सिविल कार्य निष्पादित करती है जिसका 80 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ था और 21.05.2020 से उपयोग में लाया गया था। इसे 21.05.2020 से उपयोग में लाया जा रहा है। इसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भवन) के बजाय प्रगति में पूंजीगत कार्य के रूप में दर्ज किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (भवन) को ₹ 1.93 करोड़ से कम बताया गया।
2	डीटीटीडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> पिछले आठ वर्षों में दिल्ली हाट, जनकपुरी में लिफ्टों और एस्केलेटर्स की स्थापना और कमीशनिंग के लिए ₹ 1.43 करोड़ का उपयोग करने और पूंजी लगाने में विफल रही क्योंकि लिफ्ट शाफ्ट में पानी के रिसाव की समस्या के कारण कोई और काम नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति को अधिक बताया गया और अप्रयुक्त सीडब्ल्यूआईपी पर घाटे के प्रावधान को ₹ 1.43 करोड़ कम बताया गया।
3	डीटीआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने डीआईएमटीएस को दिए गए ₹ 14.34 करोड़ के पूंजीगत अग्रिम के प्रति ₹ 5.59 करोड़ की राशि के रनिंग अकाउंट बिल (फंड के उपयोग) का हिसाब नहीं दिया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को कम दिखाया गया और प्रत्येक पूंजीगत अग्रिम को ₹ 5.59 करोड़ से अधिक बताया गया। . केनरा बैंक और यूको बैंक में एफडीआर पर अर्जित ब्याज क्रमशः ₹ 0.91 करोड़ और ₹ 0.39 करोड़ को एफडीआर पर अर्जित ब्याज के रूप में दिखाने के बजाय एफडीआर की मूल राशि (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) के रूप में दर्ज किया गया था। इसके परिणामस्वरूप जमाराशियों (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) को अधिक बताया गया और प्रत्येक जमाराशियों (तीन महीने से अधिक की परिपक्वता के साथ) पर अर्जित ब्याज को ₹ 1.30 करोड़ से कम बताया गया।
4	डीएसआईआईडीसी (2021-22)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी ने नरेला फेस -I एवं II में ₹ 0.06 करोड़ के निक्षेप कार्य को अपनी ही निधि से निष्पादित कार्य के रूप में दर्ज किया और अपनी ही निधि से निष्पादित ₹ 1.51 करोड़ के बिटुमिनस, स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और बाउंड्री ड्रेन आदि की मरम्मत और रखरखाव कार्य को सीआईएसएफ के निक्षेप कार्य के रूप में दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों - सूची-कार्य-प्रगति (आवास) और अन्य वित्तीय देनदारियों (जमा कार्यों के विरुद्ध अग्रिम-सीआईएसएफ) में से प्रत्येक को ₹ 1.45 करोड़ (₹ 1.51 करोड़ - ₹ 0.06 करोड़) कम बताया गया। पूर्वा संस्कृति केंद्र के रखरखाव पर हुआ 1.64 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च (पीएसके) को जमा कार्य के रूप में पीएसके से वसूली योग्य के रूप में बुक करने के बजाय जमा कार्य के विरुद्ध अग्रिम के रूप में गलत तरीके से समायोजित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य वित्तीय देयताएं (जमा कार्य के विरुद्ध अग्रिम) और वर्तमान संपत्ति (प्राप्तियां) प्रत्येक में ₹ 1.64 करोड़ कम बताई गईं।
5	डीएससीएफडीसी (2016-17)	<ul style="list-style-type: none"> भवनों के स्थान पर प्लांट और मशीनरी में 1.09 करोड़ की राशि के वर्क शेडों को शामिल करने के परिणामस्वरूप प्लांट और मशीनरी का मूल्य अधिक बताया गया और भवनों का मूल्य ₹ 1.09 करोड़ कम बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणियां
		<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में ₹ 2.69 करोड़ की ऋण राशि/बकाया माफ करने को मंजूरी दे दी। हालांकि, लेखा पुस्तकों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 2.69 करोड़ कम बताया गया। परिणामस्वरूप, रिजर्व और अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया। लाभार्थियों से ₹ 5.04 करोड़ की बकाया ऋण राशि के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 5.04 करोड़ से कम बताया गया। परिणामस्वरूप, रिजर्व और अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया।
6	डीएससीएफडीसी (2017-18)	<ul style="list-style-type: none"> कंपनी के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक में ₹ 2.69 करोड़ की ऋण राशि/बकाया माफ करने को मंजूरी दे दी। हालांकि, लेखा पुस्तकों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 2.69 करोड़ कम बताया गया। अतः आरक्षित और अधिशेष को भी उसी हद तक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया। लाभार्थियों से ₹ 4.94 करोड़ की बकाया ऋण राशि के विरुद्ध प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप ऋण और अग्रिम राशि को अधिक बताया गया और प्रावधान को ₹ 5.04 करोड़ से कम बताया गया। अतः आरक्षित और अधिशेष को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया। 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली ₹ 4.75 करोड़ की पांच सावधि जमा (एफडी) को नकद और बैंक शेष के तहत नकद और नकद समकक्षों के बजाय 'अन्य बैंक शेष' के तहत गैर-चालू परिसंपत्तियों के तहत दिखाया जाना चाहिए था। इसके अलावा, इन पांच एफडीएस पर अर्जित ब्याज की राशि ₹ 5.35 लाख का भी खातों में हिसाब नहीं दिया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों (नकद और बैंक शेष) को अधिक बताया गया और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों (अन्य बैंक शेष) को प्रत्येक में ₹ 4.80 करोड़ से कम बताया गया।

परिशिष्ट 5.6

(पैराग्राफ 5.13.2 में संदर्भित)

वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव

दिल्ली परिवहन निगम (2021-22)

- 1997-98 से 2010-11 की अवधि से संबंधित ₹ 1.38 करोड़ की पुरानी बकाया देयताएं जो बिना किसी समायोजन के निगम के खातों में लगातार दिखाई दे रही थीं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ वापस नहीं लिखा गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं अधिक बताई गईं और आय ₹ 1.38 करोड़ कम बताई गई। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि भी ₹ 1.38 करोड़ से अधिक बताई गई।
- सुभाष प्लेस डिपो में ₹ 0.77 करोड़ की राशि का पूंजीगत कार्य का काम 31 जनवरी 2022 को पूरा हो गया, लेकिन पूंजीकृत नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप प्रगति में पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और अचल संपत्ति को ₹ 0.77 करोड़ से कम बताया गया।
- दिवाला कार्यवाही और समाधान योजना में दावों पर विचार न करने के मद्देनजर मेसर्स ट्राइमैक्स आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में संदिग्ध प्राप्तियों के लिए गैर-प्रावधान, जिसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और अन्य प्राप्तियों को अधिक बताया गया और निवल हानि ₹ 29.10 करोड़ कम बताया गया।

मेसर्स ग्रीन दिल्ली बीक्यूएस लिमिटेड बनाम डीटीसी के मामले में निगम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जमा किए गए ₹ 16.51 करोड़ की राशि, अग्रिम और जमा के रूप में बुक करने के बजाय डीटीआईडीसीएल से वसूली योग्य हैं। इसके परिणामस्वरूप अग्रिमों और जमाओं {{अग्रिम सीईडी (बिल)}} को अधिक बताया गया और विविध देनदारों और अन्य प्राप्तियों को प्रत्येक में ₹ 16.51 करोड़ से कम बताया गया।